-29

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ रीवा, जिला–रीवा (म0प्र0)

निग/रीवा/भू.रा./17/3997

Rs-30/-

1–श्रीमती सुखमन्ती पत्नी स्व0 धिरवा प्रजापति उम्र–65 वर्ष, पेशा–घरूकार्य

2–राजभान कुम्हार पिता स्व0 धिरवा प्रजापति उम्र–28 वर्ष, पेशा–खेती

दोनो निवासी खैरहन, पोस्ट–खैरहन, तहसील–सिरमौर, थाना–सिरमौर, जिला–रीवा (म0प्र0)

————————आवेदकगण

विरूद्ध

1–गणपति पिता रतई प्रजापति उम्र–45 वर्ष, पेशा–खेती

2–कल्लू प्रजापति पिता रतई प्रजापति उम्र–50 वर्ष, पेशा–खेती

दोनो निवासी खैरहन, पोस्ट–खैरहन, तहसील–सिरमौर, थाना–सिरमौर, जिला–रीवा (म0प्र0)

———— अनावेदकगण

द्वारा राजभान कुम्हार पेश 25-10-17

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

राजस्व निरीक्षक मण्डल सिरमौर वृत्त तह0 सिरमौर के प्रकरण क0–121/अ–12/16–17 आदेश दिनांक 15.09.17 के विरूद्ध निगरानी याचिका

म0प्र0भू0रा0सं0 की धारा 50 के अधीन निगरानी याचिका

आवेदकगण का विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार हैः–

1– राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया एवं धारा 129 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2– राजस्व निरीक्षक ने भूमि खसरा क0 371/3 स्थित ग्राम खैरहन की सीमांकन की जो कार्यवाही दिनांक 10.06.2017 को की गई है, वह एकाकी रूप से

(२७)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/रीवा/भूरा/17/3997 सुखमन्ती बनाम गणपती

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-06-18 रीवा कैम्प	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। समय समय पर तीन बार आवाज लगवाई गयी। आवेदक को सुनवाई दिनांक की जानकारी होने के उपरांत प्रकरण में उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रकरण अदम पैरवी में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। 20/6/18 सदस्य	